फर्द अहकाम

न्यायालय सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रैक), चौमूं (जिला–जयपुर)

सदाराम बनाम मीना कुमारी वगै0

मा नम्बर :– 109/2025 वाद धारा 53, 88, 188 आर.टी.एक्ट.

दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रुप से	विशेष विवरण
06.06.2025	प्रार्थीया मय अधिवक्ता के उपस्थित होकर प्रार्थना पत्र बाबत निर्णय व डिक्री में संशोधन करवाने अर्न्तगत धारा 152 सी0पी0सी0 पेश कर निवेदन किया गया है कि मुकदमा नम्बर 29/2025 बउनवानी सदाराम बनाम मीना कुमारी वगै0 में इस न्यायालय द्वारा दिनांक 28.05.2025 को अन्तिम डिक्री पारित की गई है। इसके उपरान्त राज्य सरकार के सर्वे–रिसर्वे से वाद पत्र वर्णित भूमि खसरा नम्बर 851, 852, 853, 854, 855, 855/1741, 856, 856/1742, 857, 858, 859, 860, 861 कुल किता 13 का कुल रकबा 3.63 हैक्टेयर के नये खसरा नम्बर 1142, 1143, 1144, 1149, 1150, 1151, 1152, 1160, 1161, 1162, 1163, कुल किता 11 कुल रकबा 4.1124 हैक्टेयर वाके ग्राम फतेहगढ पटवार हल्का अमरपुरा भू0 अभि0 नि0 क्षैत्र नांगल भरडा तहसील चौमूँ जिला जयपुर बनाते हुए राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद कर दिया गया है। अतः सर्वे–रसर्वे के दौराने गत खसरा नम्बर, रकबा से बनाये गये हाल खसरा नम्बर एवं रकबे को शामिल करते हुए पुनः संशोधित डिक्री एवं निर्णय किया जाना न्यायोचित एवं आवश्क है। बहस प्रार्थी अधिवक्ता की सुनी गई। पत्रावली को रिकार्ड से तलब किया जाकर पुनः दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रार्थना–पत्र एवं दस्तावेज का अवलोकन किया गया। राज्य सरकार के सर्वे–रिसर्वे के दौरान खसरा नम्बरान में संशोधन किया गया है। अतः प्राथीया का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना न्यायोचित प्रतित होता है। अतः प्रार्थीया का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 152 सीपीसी स्वीकार किया जाकर हाल ही में सर्वे–रिसर्वे के दौरान जारी हाल खसरा नम्बर एवं रकबे को इस न्यायालय द्वारा पूर्व में जारी निर्णय एवं डिक्री दिनांक 28.05.2025 में सर्वे–रिसर्वे से बने हाल खसरा नम्बर एवं रकबे को शामिल किया जाकर पुनः संशोधित निर्णय एवं संशोधित डिक्री जारी हो। पत्रावली फसल शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम हो एवं दाखिल दफतर हो। सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) चौमूँ, जयपुर (ग्रामीण)	

Scanned with OKEN Scanner

न्यायालय सहायक कलक्टर (फा0ट्रैक/मु0) चौमूँ, जिला–जयपुर
पीठासीन अधिकारी :–कनक जैन(R.A.S.)

मुकदमा नं0:–29/2025

उनवान

सदाराम पुत्र रामप्रताप जाति अहीर, निवासी ग्राम फतेहगढ, तहसील चौमूं, जिला जयपुर।

–वादी–

बनाम

1. मीना कुमारी पत्नी रविशंकर, जाति अहीर, निवासी नंदूडी की ढाणी, ग्राम बरवाडा, तहसील चौमूं, जिला जयपुर।
2. रजनी पत्नी अशोक कुमार जाति अहीर, निवासी नंदूडी की ढाणी, ग्राम बरवाडा, तहसील चौमूं, जिला जयपुर।
3. सुमन पत्नी भरत, जाति अहीर, निवासी नंदूडी की ढाणी, ग्राम बरवाडा, तहसील चौमूं, जिला जयपुर।
4. शान्ति देवी पुत्री रामप्रताप, जाति अहीर, निवासी ग्राम फतेहगढ, तहसील चौमूं, जिला जयपुर।
5. राजस्थान सरकार जरिये लैण्ड होल्डर तहसीलदार चौमूं, तहसील चौमूं, जिला जयपुर।
6. राजस्थान सरकार जरिये लैण्ड होल्डर उपतहसीलदार, उपतहसील खेजरोली, जिला जयपुर।
7. यूनाईटेड बैंक ऑफ इण्डिया, जरिये शाखा प्रबन्धक, शाखा जैतपुरा, तहसील चौमूं, जिला जयपुर।

–प्रतिवादीगण–

वाद बाबत् घोषणा, तकासमा एवं स्थाई निषेधाज्ञा

वाद अन्तर्गत धारा 88, 53, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

संशोधित निर्णय

दिनांक :–06.06.2025

पत्रावली पेश हुई, वकील उभयपक्षकारान् उपस्थित। इस न्यायालय के आदेश दिनांक 27.03.2025 को उक्त वाद में प्राथमिक डिक्री कि जाकर तहसीलदार चौमूं को वाद में विभाजन प्रस्ताव प्रेषित करने हेतु निर्देशित किया गया था। प्राथमिक डिक्री की पालना में तहसीलदार चौमूं से कुर्रेजात प्रस्ताव प्राप्त हो चुके है जिस पर बहस सुनी गई। प्रार्थीया/प्रतिवादीया संख्या 1 व 3 की ओर से प्रार्थना पत्र बाबत् आपत्ति कुर्रेजात पेश किया गया जिस पर बहस सुनी गई। प्रार्थीया/प्रतिवादीया संख्या 1 व 3 का प्रार्थना पत्र बाबत् आपत्ति कुर्रेजात को खारिज किया जाता है। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात, प्राप्त कुर्रेजात रिपोर्ट का गहनता से अवलोकन किया गया। वाद पत्र तकासमा व स्थायी निषेधाज्ञा का है व अवलोकन से स्पष्ट है कि कुर्रेजात प्रस्ताव सभी काश्तकारों के रिकॉर्ड व

सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक)
चौमूँ, जयपुर (ग्रामीण)

...के अनुसार व रास्ते की सुविधा को ध्यान में रखते हुए बनाई गई है। जो न्यायालय के ...शानुसार बनाई गई है। जिसमें कोई त्रुटि नहीं पाई गई है। अतः मुताबिक कुर्रेजात ...पोर्ट दिनांक 17.04.2025 वाद को अन्तिम डिक्री किया जाता है एवं विवादित भूमि वाके ग्राम फतेहगढ, पटवार हल्का अमरपुरा, भू0अ0नि0 क्षेत्र नांगलभरडा, तहसील चौमूं, जिला जयपुर में खाता संख्या 238 के आराजी खसरा नम्बर 851 रकबा 0.12 है0, खसरा नम्बर 852 रकबा 0.03 है0, खसरा नम्बर 853 रकबा 0.08 है0, खसरा नम्बर 854 रकबा 0.26 है0, खसरा नम्बर 855 रकबा 0.62 है0, खसरा नम्बर 855/1741 रकबा 0.10 है0, खसरा नम्बर 856 रकबा 0.19 है0, खसरा नम्बर 856/1742 रकबा 0.03 है0, खसरा नम्बर 857 रकबा 0.11 है0, खसरा नम्बर 858 रकबा 0.23 है0, खसरा नम्बर 859 रकबा 0.26 है0, खसरा नम्बर 860 रकबा 1.10 है0, खसरा नम्बर 861 रकबा 0.50 है0 कुल किता 13 का कुल रकबा 3.63 हैक्टेयर भूमि का बंटवारा निम्नानुसार किया जाता है।

1. सदाराम पुत्र रामप्रताप हिस्सा सम्पूर्ण जाति अहीर राहिन हिस्सा 5/6 आरएमजीबी शाखा धोली सा0देह खातेदार का आराजी खसरा नम्बर 851 रकबा 0.12 है0, खसरा नम्बर 853/2 रकबा 0.06 है0, खसरा नम्बर 854 रकबा 0.26 है0, खसरा नम्बर 855 रकबा 0.62 है0, खसरा नम्बर 855/1741 रकबा 0.10 है0, खसरा नम्बर 856 रकबा 0.19 है0, खसरा नम्बर 856/1742 रकबा 0.03 है0, खसरा नम्बर 861/2 रकबा 0.3550 है0 कुल किता 8 का कुल रकबा 1.7350 है0 भूमि प्राप्त होकर कब्जे में रहेगी।
2. सदाराम पुत्र रामप्रताप हिस्सा 1/2 राहिन हिस्सा 5/12 आरएमजीबी शाखा धोली, मीना कुमारी पत्नि रविशंकर हिस्सा 1/6 राहिन युनाईटेड बैंक ऑफ इंण्डिया शाखा जैतपुरा, रजनी पत्नि अशोक कुमार हिस्सा 1/6 राहिन युनाईटेड बैंक ऑफ इण्डिया शाखा जैतपुरा, सुमन पत्नि भरत हिस्सा 1/6 राहिन युनाईटेड बैंक ऑफ इण्डिया शाखा जैतपुरा को आराजी खसरा नम्बर 852 रकबा 0.03 है0, खसरा नम्बर 853/1 रकबा 0.02 है0, खसरा नम्बर 857 रकबा 0.11 है0 कुल किता 3 का कुल रकबा 0.16 है0 भूमि प्राप्त होकर कब्जे में रहेगी।
3. मीना कुमारी पत्नि रविशंकर हिस्सा 1/3 राहिन युनाईटेड बैंक ऑफ इंण्डिया शाखा जैतपुरा, रजनी पत्नि अशोक कुमार हिस्सा 1/3 राहिन युनाईटेड बैंक ऑफ इण्डिया शाखा जैतपुरा, सुमन पत्नि भरत हिस्सा 1/3 राहिन युनाईटेड बैंक ऑफ इण्डिया शाखा जैतपुरा जाति अहीर सा0 नंदूडी की ढाणी ग्राम फतेहगढ खातेदार को आराजी खसरा नम्बर 858 रकबा 0.23 है0, खसरा नम्बर 859 रकबा 0.26 है0, खसरा नम्बर 860 रकबा 1.10 है0, खसरा नम्बर 861/1 रकबा 0.1450 है0 कुल किता 4 का कुल रकबा 1.735 है0 भूमि प्राप्त होकर कब्जे में रहेगी।

mnj

सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक)
चौमूँ, जयपुर (ग्रामीण)

Scanned with OKEN Scanner

मुकदमा सं0—29 / 2025
उनवान—सदाराम बनाम मीना कुमारी वगै0
संशोधित निर्णय दिनांक—06.06.2025

नोट :— उक्त अन्तिम डिक्री की पालना, पूर्व में प्राप्त कुर्रेजात दिनांक 17.04.2025 व रसर्वे के दौरान बने खसरा नम्बर एवं जारी मिलान क्षेत्रफल आदि के अनुसार नुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद किया जावें।

उक्तानुसार पर्चा लगान अलग अलग कायम किये जाने के आदेश दिये जाते है। म डिक्री जारी हो। पत्रावली निर्णित शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम हो तथा दाखिल र हो। यह निर्णय आज दिनांक 06.06.2025 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले यालय में सुनाया गया।

सहायक कलक्टर
(फा0 ट्रै0 / मुख्यालय)चौमूँ